कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः– 1851 दिनांकः– 18/11/21

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
रामगढ़।

विषय :– पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– 1362 दिनांक 02.11.20211

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि FP/JH/others/30674/2017 Construction of Police Line Ramgarh Building हेतु 13.047 हे0 जंगल–झाडी दर्ज वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैः–

1. अपयोजित होने वाली सम्पूर्ण वनभूमि का किस्म जमीन–झाड़ी है। अतः इसके उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त/आयुक्त का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
2. प्रस्तावित Construction of Police Line Ramgarh Building हेतु प्रस्ताव non site specific है अतः इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। वन भूमि में Police Line स्थापित किये जाने का औचित्य क्या है ? के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ Cost Benefit analysis report संलग्न नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का किस्म जंगल दर्ज है अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देश (Hand Book) 2.4 (i) के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ऐसे मामले में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले दो गुणा गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अर्थात इस परियोजना हेतु कुल 26.10 हे0 गैर वन भूमि चिन्हित की जानी अपेक्षित है।
6. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non encumbrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

7. प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षो की गणना सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या– 113 है, जिसमें कितने वृक्षों का पातन होना है, से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों / त्रुटियों का निराकरण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि यथोचित अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,

18/11/21

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

18/11/21